National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.multidisciplinaryjournal.org
ISSN: 2455-9040
Received: 01-05-2023, Accepted: 16-05-2023, Published: 01-06-2023
Volume 8, Issue 1, 2023, Page No. 32-35

महात्मा गांधी, प्रवासी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बदलती प्रवृत्ति

सुनीता बघेले
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय दिव्यगवा, रीवा, मध्य प्रदेश भारत

सरांश
संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से जारी 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टाक–2019 (The International Migrant Stock - 2019) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की संख्या 1.75 करोड़ है। प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत, मैक्सिको और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रवासियों की कुल संख्या वर्तमान आबादी का 3.5 प्रतिशत है। नौकरी, उद्योग, व्यापार और दूसरे अन्य कारणों से अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रहने वालों में भारतीयों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख मुद्दे सभ्यताओं के मतभेदों में उलझते प्रतीत होते हैं। पश्चिमी दुनिया से गैर–पश्चिमी दुनिया की तरफ शक्ति का बहाव हो रहा है। विश्व राजनीति बहुध्रुवीय और बहुसांस्कृतिक बनती जा रही है। विश्व राजनीति सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठित हो रही है।

मूलशब्दः महात्मा गांधी, प्रवासी भारतीय, अंतरराष्ट्रीय राजनीति

जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं उन्हे प्रवासी भारतीय कहते हैं। ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं। 48 देशों में रह रहे प्रवासियों की जनसंख्या करीब 2 करोड़ है। इनमें से 11 देशों में 5 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय वहां की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां की आर्थिक व राजनीतिक दशा व दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां उनकी आर्थिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक दक्षता का आधार काफी मजबूत है। वे विभिन्न देशों में र हते हैं, अलग भाषा बोलते हैं परन्तु वहां के विभिन्न क्रियाकलापों में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। प्रवासी भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के कारण ही साझा पहचान मिली है और यही कारण है जो उन्हें भारत से गहरे जोड़ता है।

जहां–जहां प्रवासी भारतीय बसे वहां उन्होंने आर्थिक तंत्र को मजबूती प्रदान की और बहुत कम समय में अपना स्थान बना लिया। वे मजदूर, व्यापारी, शिक्षक अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता, डाक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रबंधक, प्रशासक आदि के रूप में दुनियाभर में स्वीकार किए गए। प्रवासियों की सफलता का श्रेय उनकी परंपरागत सोच, सांस्कृतिक मूल्यों और शैक्षणिक योग्यता को दिया जा सकता है। कई देशों में वहां के मूल निवासियों की अपेक्षा भारतवंशियों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर सूचना तकनीक के क्षेत्र में क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके कारण भारत की विदेशों में छवि निखरी है। प्रवासी भारतीयों की सफलता के कारण भी आज भारत आर्थिक विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से जारी 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी स्टाक–2019 (The International Migrant Stock . 2019)' रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2019 में दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की संख्या 1.75 करोड़ है। प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत, मैक्सिको और चीन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रवासियों की कुल संख्या वर्तमान आबादी का 3.5 प्रतिशत है। नौकरी, उद्योग, व्यापार और दूसरे अन्य कारणों से अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में रहने वालों में भारतीयों की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर अनेक देशों के कानून और अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने वाली संस्थाओं का प्रमुख हिस्सा बनने में भारतीय कामयाब रहे हैं। इस आलेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवासी भारतीय किस तरीके से एक नई ताकत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरे हैं और अलग–अलग देशों में भारत के रिश्तों को लेकर उनकी भूमिका कितनी महत्त्वपूर्ण है साथ ही यह भी जानेंगे कि पिछले एक दशक में भारत ने किस प्रकार उनका समर्थन हासिल किया है और उसके क्या परिणाम रहे हैं।

देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान के महत्त्व को मान्यता देने और देश से जुड़ने हेतु मंच प्रदान करने के लिये भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। वर्ष 1915 में 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर की थी। वर्तमान केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिये महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि यदि किसी विदेश दौरे पर जाता है तो वह उस देश में रह रहे प्रवासी भारतीयों के बीच अवश्य जाते हैं। इससे प्रवासी भारतीयों के मन में अपनेपन की भावना जन्म लेती है और वे भारत की ओर आकर्षित होते हैं। भारतीय 'ब्रेन–ड्रेन' को 'ब्रेन–गेन' में बदलने के लिये भारत सरकार विदेश में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में जाने वाले कामगारों के लिये 'अधिकतम सुविधा' और 'न्यूनतम असुविधा' सुनिश्चित करना चाहती है।

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को मंच प्रदान कर उनको दुनिया के सामने लाना है। प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिये एक मंच उपलब्ध कराना। विश्व के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना। युवा पीढ़ी को प्रवासियों से जोड़ना तथा विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयाँ जानना तथा उन्हें दूर करने के प्रयास करना।

खाड़ी देशों में लगभग 8.5 मिलियन भारतीय रहते हैं, जो दुनिया में प्रवासियों का सबसे बड़ा संकेंद्रण है। अरब प्रायद्वीप की भौगोलिक और ऐतिहासिक निकटता इसे भारतीयों के लिये एक

सुविधाजनक स्थान बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 4 मिलियन भारतीय रहते हैं। यहाँ मैक्सिको के बाद भारतीयों का दूसरा सबसे अधिक संकेंद्रण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2020 के अंत में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी भूमिका रहेगी। इसके अतिरिक्त कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल सहित अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है।

अनिवासी भारतीय

'अनिवासी भारतीय' (Non&Resident Indian&NRI) का अर्थ ऐसे नागरिकों से है जो भारत के बाहर रहते हैं और भारत के नागरिक हैं या जो नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7(।) के दायरे में 'विदेशी भारतीय नागरिक' कार्डधारक हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जो ''भारत के निवासी'' के रूप में मानदंडों को पूरा नहीं करता है, वह भारत का निवासी नहीं है और उसे आयकर देने के लिये अनिवासी भारतीय माना जाता है।

भारतीय मूल का व्यक्ति

भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin&PIO) का मतलब एक विदेशी नागरिक (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, श्रीलंका और नेपाल को छोड़कर) से है, जो किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारक हो या वह या उसके माता–पिता ६ पितामह, दोनों ही भारत में जन्में हों या भारत शासन अधिनियम, 1935 के प्रभावी होने से पूर्व से भारतं के स्थायी नागरिक हों या इस अवधि के बाद किसी क्षेत्र के भारत का अभिन्न अंग बनने से पूर्व वहाँ के निवासी हो।

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया

प्रवासी भारतीयों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक छद्म नागरिकता योजना बनाई गई, जिसे विदेशी भारतीय नागरिकता' आमतौर पर ओसीआई कार्डधारक के रूप में जाना जाता है। प्रवासी भारतीयों को अनिवासी भारतीयों के समान सभी अधिकार (कृषि एवं बागान अधिग्रहण का अधिकार) दिए गए हैं।

प्रवासी भारतीयों का महत्त्व

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने के लिये किया गया महात्मा गांधी का संघर्ष आधुनिक भारत में प्रवासी भारतीयों से स्वयं को जोड़ने के लिये एक प्रेरणादायक किंवदंती बन गया। प्रवासी भारतीय प्रमुख देशों के राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के बीच भारतीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिये एक वाहक बन गए। प्रवासन का कार्य केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक सांस्कृतिक विस्तार भी है। सिख समुदाय भारत के सबसे बड़े प्रवासियों में से एक है। ये यूके, कनाडा और कई अन्य देशों में निवास कर रहे हैं तथा भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित करा रहे हैं। किसी अन्य देश में निवास कर रहे कर्मचारी द्वारा अपने देश में किसी व्यक्ति को पैसे का हस्तांतरण करना ही प्रेषण है। प्रवासियों द्वारा घर भेजा गया पैसा विकासशील देशों के सबसे बड़े वित्तीय प्रवाह में से एक है। विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2018 में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने के साथ भारत ने दुनिया के शीर्ष प्राप्तकर्त्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है।

यह प्रवासी निवेश को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने, औद्योगिक विकास में तेजी लाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 'परिवर्तन के वाहक' के रूप में कार्य करता है। सक्रिय प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों के पोषण और सामाजिक–आर्थिक विकास में वृद्धि करने में प्रमुख योगदान तकनीकी क्षेत्र का भी रहा है। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारतीय मूल के व्यक्ति निर्णायक पदों पर आसीन हैं। जिनमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको इत्यादि शामिल हैं।

प्रवासी भारतीयों के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता एक वास्तविकता बन सकती है। भारत ने नवंबर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की पुनर्नियुक्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र में दो–तिहाई मत हासिल कर अपने राजनयिक प्रभाव का प्रदर्शन किया। राजनीतिक दबाव, मंत्रिस्तरीय और राजनयिक स्तर की पैरवी के अलावा भारत सुरक्षा परिषद की सदस्यता का समर्थन करने के लिये विभिन्न देशों में मौजूद अपने प्रवासी भारतीय समुदाय का लाभ उठा सकता है। एक बड़े प्रवासी समूह के होने से अमूर्त लेकिन महत्त्वपूर्ण लाभ 'प्रवासी कूटनीति' है। ऐतिहासिक रूप से भारत को अपने प्रवासी भारतीयों से लाभ हुआ है। चाहे वह विदेशों से भेजे गए प्रेषण के रूप में हो या वर्ष 2008 में यूएस–इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिल की पैरवी।

प्रवासी भारतीय समुदाय को जोड़ने में सरकार की भूमिका वर्ष 2004 में प्रवासी भारतीय समुदाय की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय' की स्थापना की है। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं–

भारत को जानें कार्यक्रम

भारत को जानें कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 26 आयु वर्ग के प्रवासी युवाओं को देश के विकास और उपलब्धियों से परिचित कराना और उन्हें उनके मूल देश से भावनात्मक रूप से जोड़ना है।

भारत का अध्ययन कार्यक्रम

भारत का अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत के इतिहास, विरासत, कला, संस्कृति, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विकास से परिचित कराने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों मे लघु अवधि के पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।

प्रवासी बच्चों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय मूल के प्रवासियों और गैर–प्रवासी भारतीय छात्रों को इंजीनियरिंगध प्रौद्योगिकी, मानविकी, वाणिज्य, प्रबंधन,पत्रकारिता, होटल प्रबंधन, कृषि और पशु पालन आदि विषयों में स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 100 छात्रों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र चार हजार अमेररिकी डॉलर तक की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

प्रवासी भारतीय बीमा योजना

इस योजना के तहत विदेशगमन की अनुमति मिलने के बाद रोजगार के लिये विदेश गए प्रवासी भारतीय की मृत्यु अथवा विकलांगता पर नामितध्आधिकारिक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है।

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

इस योजना को प्रायोगिक तौर पर 1 मई, 2012 को केरल में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विदेशी भारतीय कामगारों को बढ़ावा देना और सक्षम बनाना है। इसके अतिरिक्त वापसी एवं पुर्नवास की सुरक्षा, उनके पेंशन की सुरक्षा और प्राकृतिक मौत की दशा में जीवन बीमा लाभ दिलाने में सरकार के द्वारा मदद प्रदान करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था निरन्तर बदलती जा रही है और इसमें बदलाव का मुख्य कारण है समय–समय पर नई प्रवृत्तियों और मुद्दों का उदय होना। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों का मत है कि 20वीं शताब्दी में तीन ऐसे अवसर आये, जबकि

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया। पहला अवसर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद (1919 के बाद), द्वितीय अवसर द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद (1945 के बाद) तथा तृतीय अवसर पिछले दशक (1991) में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व–शक्ति सन्तुलन में बुनियादी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे। खाड़ी युद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रपति बुश ने 'नई विश्व व्यवस्था' (New World Order) की स्थापना का स्पष्ट संकेत दे दिया था। 20वीं शताब्दी की अन्तिम दशाब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का खाका बदलने लगा। 1991–2001 में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली विश्व व्यवस्था पुरातन–सी लगने लगी। नये अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे के निर्माण का नारा अमरीका ने लगभग दस वर्ष पूर्व लगाया था। शीत–युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप में प्रभावहीन हो जाना इस नारे की पृष्ठभूमि में थे। उस समय इस विषय पर जो बहस चली उसमें अमरीका की तरफ से यह कहा गया कि नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अहम् भूमिका होगी। यह रवैया अमरीकी विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन था क्योंकि पिछले कई वर्षों से वह संयुक्त राष्ट्र संघ से नाखुश था। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि अमरीका ने अपने हिस्से की चन्दे की रकम भी उसे देनी बन्द कर दी थी। अमरीका इस संस्था के दो संगठनों (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ और यूनेस्को) से बाहर हो गया। उसकी शिकायत थी कि सोवियत संघ के इशारे पर तीसरी दुनिया के देश इन संगठनों में हर मामले पर अमरीका का विरोध करते हैं। अमरीका के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ बेमतलब हो गया था। मार्च–अप्रैल 2003 में 'आपरेशन इराकी फ्रीडम' ने सद्दाम के शासन का ही अन्त नहीं किया अपितु संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का भी अन्त कर दिया।

सन् 1985 में गोर्बाच्योव सोवियत संघ में सत्ता में आये। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही पश्चिम से टकराव की नीति को छोड़कर अमरीका तथा उसके सहयोगी देशों से मिल–जुलकर चलने का रास्ता अपनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सारे काम सर्वसम्मति से होने लगे। इस माहौल से अमरीका काफी प्रसन्न हुआ और उसने अपने प्रस्तावित नये अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे में संयुक्त राष्ट्र की महत्ता का बखान करना शुरू कर दिया। इस नीति का उपयोग अमरीका ने इराक को पड़ोसी देश कुवैत से खदेड़ने में जी भरकर किया। जुलाई 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था और वहां के शासक ने भागकर पड़ोसी देश सऊदी अरब में शरण ली थी। अमरीका ने कुवैत को स्वतन्त्र कराने का अभियान शुरू किया। इस सम्बन्ध में उसने अपने हर फैसले का अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् से कराया।

दिसम्बर 1991 में संसार में एक और बड़ी हलचल हुई। सोवियत संघ छिन्न–छिन्न होकर 15 स्वतन्त्र देशों में बंट गया। पिछले चार दशकों से अमरीका से लोहा लेने वाली विरोधी महाशक्ति संसार के नक्शे से मिट गयी। अब अमरीका अकेला ही एक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया। फिर उसने कुवैत को स्वतन्त्र कराने में जिस तकनीकी रणनीति का प्रयोग किया उससे उसकी धाक और जम गयी। इसके बाद अमरीकी रुख में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। अरब देशों ने इजराइल से संवाद शुरू किया, भारत और चीन ने इजराइल को पूर्ण राजनयिक मान्यता दे दी, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल विरोधी प्रस्ताव को निरस्त कराने में अमरीका का साथ दिया। चीन, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी अफ्रीका आणविक अखों के फैलाव को रोकने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गये। इस प्रकार खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अवसान, सोवियत संघ के विघटन, जर्मनी के एकीकरण तथा शीत युद्ध के अन्त ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्याओं, मुद्दों और प्रवृत्तियों का स्वरूप ही बदल दिया। यूगोस्लाविया के विघटन, वारसा पैक्ट की समाति, मध्य एशिया के मुस्लिम गणतन्त्रों का स्वतन्त्र होना, अफगानिस्तान में मुस्लिम कट्टरवाद की विजय, कम्बोडिया में शान्ति की स्थापना से विश्व राजनीति के बदले परिदृश्य को समझा जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदले परिवेश में निर्गुट आन्दोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लग गया और सोवियत संघ की समाप्ति के बाद 'तृतीय विश्व' का मुहावरा भी कालातीत लगने लगा। बदले अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अमरीका की नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आया। अब वह अपने प्रस्तावित नये अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे में संयुक्त राष्ट्र संघ को पहले जैसा महत्व नहीं दे रहा है। द्वितीय विश्व–युद्ध के बाद से चली आ रही साझी अन्तर्राष्ट्रीय नीति को वह अब नकार रहा है। उसके स्थान पर वह अब अपना वर्चस्व चाहता है। वह नहीं चाहता कि फिर से कोई महाशक्ति उसके मुकाबले में खड़ी हो। अमरीका विश्व में एक महाशक्ति का बोलबाला चाहता है। रचनात्मक बर्ताव और पर्याप्त फौजी ताकत से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है।

संसार अब एक–ध्रुवीय हो गया है। एकीकृत जर्मनी और जापान आर्थिक शक्ति के अधिक महत्वपूर्ण केन्द्र बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में एकीकरण की दिशा में जो द्रुत गति से प्रगति हुई है उससे सम्भवतः आर्थिक शक्ति के एक अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में इसकी महत्ता और अधिक उभरेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की राजनीति का चलन था। शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था जिसमें दो विरोधी जीवन पद्धतियां – उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लगे। 1990 के बाद पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ से साम्यवादी शासनों को विदाई दे दी गयी, साम्यवादी दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म का वर्तमान संकट मुख्यतः आर्थिक मोर्चे पर असफलताओं से उपजा। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, खुलापन और निजी सम्पत्ति अचानक महत्वपूर्ण हो गये। जो वर्षों से जी–जान से लेनिन की विचारधारा का समर्थन करते आ रहे थे, अब चीख–चीख कर कह रहे हैं कि लोकतन्त्र के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। शीत युद्ध के अवसान में सोवियत राष्ट्रपति गोर्वाच्योव की ऐतिहासिक भूमिका रही। इसके लिए गोर्वाच्योव को अन्तर्राष्ट्रीय जगत का असाधारण व्यक्ति माना गया। एक–ध्रुवीय विश्व (Uni-polar World) – द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया जिनमें एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। किन्तु 20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में ऐसा लगने लगा कि विश्व में एकमात्र महानतम शक्ति है और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब विश्व राजनीति दो भीमाकार दैत्यों के बीच का संघर्ष नहीं रह गयी। साम्यवाद के अवसान के साथ ही दूसरे भीमाकार दैत्य की अकाल मृत्यु हो गयी। वस्तुतः खाड़ी युद्ध में अमरीकी विजय ने उसकी शक्ति, प्रभाव एवं वर्चस्व में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। यही कारण है कि आज अमरीका रूस, चीन, भारत और जापान जैसे देशों को धमकी देने लगा है।

आज अमरीका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। वह विश्व का एकमात्र पुलिसमैन, दादा या महानायक है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसका कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं, उसे कोई ललकार या चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास इतनी ताकत है कि वह किसी भी देश को आदेश दे सकता है और न मानने पर उसे दण्डित कर सकता है। उसके पास परमाणु अस्त्रों की ही प्रचण्ड शक्ति नहीं है, वरन् उसके पास आर्थिक क्षमता भी अत्यधिक है। वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। वह 'अनुचित व्यापार' के बहाने राष्ट्रों का अवसान (Collapse of Communist

bloc) वर्ष 1990–91 में एक महान् क्रान्ति हुई। पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को कब्र में गाड़ दिया गया। 7 नवम्बर, 1989 को हंगरी में, 29 जनवरी, 1990 को पोलैण्ड में, 18 मार्च, 1990 को पूर्वी जर्मनी में, 23 मई, 1990 को रोमानिया में, 11 जून, 1990 को चेकोस्लोवाकिया में, साम्यवादी शासन का अन्त हो गया। फरवरी, 1990 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने लेनिनवाद को ध्वस्त करने का क्रान्तिकारी मार्ग अपनाया। उसने सोवियत संविधान के उस अनुच्छेद 6 के विल्येपन का संकल्प किया जिसमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के रुजा पर एकाधिकार की गारण्टी दी गयी थी। साथ ही प्रज्ञासन की कार्यकारी शक्ति (प्रशासन सत्ता) महासचिव के स्थान पर राष्ट्रपति को सौंपकर सरकार पर पार्टी के नियन्त्रण को निष्प्रभावी करने का निश्चय किया गया।। फरवरी, 1990 को सोवियत संसद ने मार्क्सवाद के एक मूल सिद्धान्त को स्पष्टतः अस्वीकार कर दिया। उसने घोषणा की ''पार्टी का विचार है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्य सहित निजी सम्पत्ति का अस्तित्व देश के आर्थिक विकास की धर्तमान अवस्था के प्रतिकूल नहीं है।'' साम्यवादी दलों के पतन के बाद बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र निर्वाचन, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाने से पूर्वी यूरोप और सोवियत गणराज्यों में स्वतन्त्रता की बहार आ गयी। अब उदार पूंजीवादी व्यवस्था से प्रतियोगिता करने वाली विचारधारा–जनित शक्ति गुट का अभाव नजर आता है। अब तो सभी मार्ग पूंजीवाद की ओर चल पड़े हैं। आये परिवर्तनों से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) की प्रासंगिकता का प्रश्न विचारणीय मुद्दा बन गया है। शीत युद्ध के अन्त, द्वि–ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थान पर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय, सोवियत संघ के पतन, आदि से सहज ही में यह प्रश्न किया जाने लगा कि क्या निर्गुट आन्दोलन अप्रासंगिक तो नहीं हो गया है? खाड़ी संकट, अफगान संकट तथा मार्च–अप्रैल 2003 में 'आपरेशन इराकी फ्रीडम' के समय 'नाम' की कोई खास भूमिका नहीं रही। सोवियत संघ के विघटन और सोवियत ब्लाक तथा शीत–युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है।

कतिपय विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती विश्व राजनीति में 'नाम' की राजनीतिक भूमिका की अपेक्षा 'आर्थिक' क्षेत्रों में भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा दक्षिण–दक्षिण सहयोग के लिए 'नाम' महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। गुट निरपेक्ष आन्दोलन समय के साथ हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अपनी प्राथमिकताओं को नया रूप देने का प्रयास कर रहा है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका को नई स्फूर्ति देना एक ऐसा मुद्दा है जिसमें पिछले कुछ समय से आन्दोलन का ध्यान लगा हुआ है। आज गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तेजी से से बद बदलती हुई

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति गतिशील है, उसमें द्रुतगति से बदलाव आ रहा है। जहां एक ओर पिछले 15 वर्षों में नई प्रवृत्तियां उभरी हैं वहीं दूसरी ओर मुद्दे भी बदले हैं। पश्चिमी एशिया में अरब–इजराइल शान्ति वार्ता, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, अणु अप्रसार सन्धि, सी टी बी टी, नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, यूरोप का एकीकरण, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन, संयुक्त राष्ट्र संथ में सुधार, संयुक्त राष्ट्र का वित्तीय संकट, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद, रूस–चीन सहयोग, पश्चिमी यूरोप में वामपंथ का ज्वार, मेस्ट्रिच सन्धि, मानवाधिकारों की सुरक्षा, आदि कतिपय ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर विस्तार से विचार किये जाने की आवश्यकता है। गैट सन्धि पर हस्ताक्षर के साथ ही मुक्त व्यापार का मार्ग और अधिक प्रशस्त हो गया। खुले विश्व व्यापार के इस दौर में भौगोलिक सीमाएं अप्रभावी हो गई। दुनिया के आठ बड़े औद्योगिक देशों के समूह–8 के नेता भारत और चीन को अपने खेमे में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। जून 2004 की सवान्ना (जार्जिया) में सम्पन्न शिखर बैठक के बाद इटली के प्रधानमन्त्री सिल्वियो बुर्लुस्कोनी ने कहा कि इन देशों के बिना हमारे लिए भावी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है। सेमुअल पी. हंटिंगटन के अनुसार शीत युद्धोत्तर विश्व 7–8 सभ्यताओं के वर्चस्व वाला विश्व है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख मुद्दे सभ्यताओं के मतभेदों में उलझते प्रतीत होते हैं। पश्चिमी दुनिया से गैर–पश्चिमी दुनिया की तरफ शक्ति का बहाव हो रहा है। विश्व राजनीति बहुध्रुवीय और बहुसांस्कृतिक बनती जा रही है। विश्व राजनीति सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठित हो रही है। हम सभ्यताओं के टकराव (The clash of Civilizations) की ओर बढ़ रहे हैं।

संदर्भ सुचि

1. https%//www-drishtiias-com/hindi/daily&updates/daily&news&editorials/the&ambit&and&the&limits&of&diaspora&diplomacy
2. https%//hi-wikipedia-
3. फडिया, बी एल, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, आगरा
4. पंत, पुष्पेश, जैन, श्रीपाल, (2000), 'भारतीय विदेश नीति : नये आयाम', मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2000
5. जैन, बी० एम० (1995), 'प्रमुख देशों की विदेश नीतियां', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, प्रथम संस्करण।
6. खन्ना वी. एन. भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नोएडा